संख्या-12/2024/132/एक-1-2024-1-1099/37/2024

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2024

विषयः महर्षि आश्रम उ0प्र0 सोसाइटी **(पंजीकरण संख्या-4332 वर्ष 1982)** द्वारा जिला गौतमबुद्धनगर में जनकल्याण एवं शैक्षणिक कार्यों इत्यादि के लिए बिना अनुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-671/डीएलआरसी/2023, दिनांक-23.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के आलोक में श्री राज्यपाल महर्षि आश्रम उ0प्र0 सोसाइटी द्वारा जनकल्याण एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए ग्राम भंगेल बेगमपुर, तहसील व परगना दादरी, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर में बिना अनुमति के विहित सीमा (5.0586 हे0) से अधिक क्रय की गयी 0.1596 हे0 भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करती है कि संस्था द्वारा आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि की लागत की अद्यतन उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार जुर्माने के संदाय के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि को निर्धारित लेखा-शीर्षक में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. श्री प्रमोद कुमर सिंह, उपाध्यक्ष, महर्षि आश्रम सोसाइटी, बाता, बी-ब्लॉक, आरोग्य धाम, महर्षि नगर, नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर पिन-201304
4. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in